



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112024-258594
CG-DL-E-12112024-258594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4514]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946

No. 4514]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

का.आ. 4895(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड" (पैन: AAALP0582E) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के तहत गठित एक बोर्ड, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अंतर्गत गठित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 118/2024/फा. सं. 300195/12/2024-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)